State Environment Impact Assessment Authority, M.P.

(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony

Bhopal - 462016

visit us http://www.mpseiaa.nic.in

Email : mpseiaa@gmail.com

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

सत्यमेव जयते

No.: 920 /SEIAA/ 22

Date : 29/6/22

संशोधन

प्रति,

श्री सुधीर कुमार जैन आत्मज श्री सुदंर लाल जैन,
निवासी नगर निगम के पीछे,
जिला कटनी (म.प्र)

विषयः प्रस्ताव क्र. **SIA/MP/MIN/58636/2020** - प्रकरण क्र. 7997 / 2020 परियोजना प्रस्तावक श्री सुधीर कुमार जैन आत्मज श्री सुदंर लाल जैन, निवासी नगर निगम के पीछे, जिला कटनी (म.प्र.) डोलोमाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 37584 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 128, 129 130, 138, 139, 140, 141, 142पी, 143, 144, 145, रकबा 8.681 हेक्टेयर, ग्राम मलहान, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.)।

संदर्भः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) समिति की 731वीं बैठक दिनांक 08.06.2022 में लिये गये निर्णय अनुसार ।.

SEIAA की 714वी बैठक दिनांक 24.03.2022 के निर्णय अनुसार उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 31.05.2022 द्वारा निम्नानुसार संशोधन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है :-

1. *खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा लिखा गया है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक की अनुमति चाही गई है।*
2. *परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से दोनो ओर प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 50 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये लिखा है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त कच्ची सड़क को कार्यालय कलेक्टर द्वारा परिवर्तित किया जायेगा बताया गया है।*

प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये आवेदन के बिन्दु क्र. 1 एवं 2 के संबंध में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निणर्य लिया गया कि पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त क्र. 2 एवं 4 को विलोपित कर इसके स्थान पर निम्नानुसार शर्त अधिरोपित की जाती है।

1. *जिला प्रशासन के सहयोग से ग्रामवासियों को उनके आवागमन की सुविधा के दृष्टिगत वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करवाए जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा।*
2. *परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुरूप एवं SEAC की अनुशंसा के दृष्टिगत तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्र. 304/2019 में आदेशित कार्यवाही के परिपालन में खनन क्षेत्र से 200 मीटर तक नो माईनिंग जोन की परिधि में निर्धारित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों से प्रतिबंधित दूरी में नो माईनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा।*

अतः उपरोक्त निर्णय अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 23.05.2022 में उल्लेखित विशिष्ट शर्त क्र. 2 एवं 4 को विलोपित कर इसके स्थान उक्त संशोधित शर्तो को पढा जाये एवं पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शेष शर्ते यथावत रहेगी।

(विकास मिश्रा) 29/6/22
सदस्य सचिव

क्र.. 921 /SEIAA/2022 भोपाल दिनांक 29/6/22

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला कटनी (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला कटनी (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला कटनी (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी